न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला
राजस्व प्रार्थना पत्र 51/2017

1. नाथूलाल पूत्र श्री छोगा जी जाति नाई निवासी ग्राम जामोला तहसील मसूदा, जिला अजमेर,हाल निवासी गोमती नगर गली नंम्बर 1 कॉलेज लिंक रोड सेंदडा रोड ब्यावर जिला अजमेर, राजस्थान ।
2.लक्ष्मीनारायण पूत्र श्री छोगा जी जाति नाई निवासी ग्राम जामोला तहसील मसूदा, जिला अजमेर,हाल निवासी गुलाब बाबा की धूणी गुलाबपुरा जिला भिलवाडा ।
3.हरिराम श्री छोगा जी जाति नाई निवासी ग्राम जामोला तहसील मसूदा, जिला अजमेर,

.............प्रार्थिगण

बनाम

1. श्री जगदीश पूत्र श्री गोविंराम जाति नाई
2. श्री रमेश उर्फ गोपाल पुत्र श्री गोविंदराम जी नाई
   दोनो जाति नाई एवं निवासीगण ग्राम जामोला, तहसील मसूदा जिला, अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय–मसूदा, तहसील मसूदा जिला अजमेर।

...............अप्रार्थीगण

4. जय नारायण पुत्र श्री छोगा जी नाई जाति नाई निवासी ग्राम जामोला तहसील मसूदा जिला अजमेर, हाल निवासी मोती नगर कोलोनी सेंदडा रोड बाईपास के पास ब्यावर जिला अजमेर। .... प्रोफामा अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम जामोजा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 534/2612 रक्बा 03–02–00. 536 रक्बा 00–07–10. 545/2711 रक्बा 02–05–00. 595 रक्बा 01–17–00. 1537 रक्बा 02–14–00. 1538 रक्बा 02–11–10. 1739/1 रक्बा 01–16–10. 1779 रक्बा 00–19–00 बिस्वा उनकी खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण उपस्थित होकर पूर्ण सहमती है इस हेतू निवदेन किया ।

वकील प्रार्थीगण को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम जामोजा की जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 232 में ख0 न0 534/2612 रक्बा 03–02–00 .536 रक्बा 00–07–10. 545/2711 रक्बा 02–05–00. 595 रक्बा 01–17–00.1537 रक्बा 02–14–00. 1538 रक्बा 02–11–10.1739/1 रक्बा 01–16–10 .1779 रक्बा 00–19–00 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि –

आदेश

तहसीलदार मसूदा को ग्राम जामोजा स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 534/2612 रक्बा 03–02–00 .536 रक्बा 00–07–10. 545/2711 रक्बा 02–05–00. 595 रक्बा 01–17–00.1537 रक्बा 02–14–00. 1538 रक्बा 02–11–10.1739/1 रक्बा 01–16–10 .1779 रक्बा 00–19–00 बिस्वा में मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राशि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि नक्शा व जमाबंदी अनुसार मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.30 17:23:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: